म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान

(भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद्, मानव विकास संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त शोध संस्थान)
6, प्रोफेसर रामसखा गौतम मार्ग, भरतपुरी प्रशासनिक प्रक्षेत्र, उज्जैन – 456 010 (म.प्र.)
फोनः 0734–2510978, फैक्सः 0734–2512450, ईमेलः mpissr@yahoo.co.in, http://www.mpissr.org

राष्ट्रीय सेमिनार

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण एवं समावेशी विकास का भारतीय परिदृश्यः चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएँ

(Rural Women Empowerment and Inclusive Development in Indian Scenario: Challenges and Possibilities)

(फरवरी 6–7, 2018)

प्रायोजक–उत्तरी क्षेत्रीय केन्द्र, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली

स्वतंत्रता के पश्चात् संविधान के रचनाकारों ने भेदभावरहित लोकतंत्र की रचना की जिसमें समानता के ध्येय को सर्वोपरि रखा गया और महिलाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें अवसर देने के लिये विशेष प्रावधान किये गये। साथ ही विभिन्न चरणों में महिलाओं के विकास की दृष्टि से कई कार्यक्रम एवं योजनाएँ बनायी गयी। निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं का सहभागी होना आवश्यक माना गया तथा इस हेतु विभिन्न स्थानों पर महिलाओं के स्थान आरक्षित करने की दिशा में प्रयास प्रारम्भ किये गये।

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की जनसंख्या 1.21 अरब से अधिक है और इसमें से 72.20 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएँ लगभग 50 प्रतिशत आबादी का निर्माण करती हैं एवं इनकी काम में हिस्सेदारी दो–तिहाई के लगभग हैं और ये देश की खाद्यान्न वस्तुओं का 50 प्रतिशत उत्पादन करती हैं। ग्रामीण भारतीय समाज में महिलाओं को प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण महिलाएं बहुत अधिक जिम्मेदारियों को साझा करती है। फिर भी वह आर्थिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से कमजोर है। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले उन्हें समाज में उनके अधिकार एवं मूल्यों को प्रदान करना प्रमुख है। साथ ही निर्णय लेने की स्वतंत्रता, जानकारी तथा संसाधनों की उपलब्धता की स्वतंत्रता, सामूहिक निर्णय के मामलों में अपनी बात रखने की स्वतंत्रता, बदलाव लाने की क्षमता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार का अधिकार, अभिव्यक्ति एवं कही भी आने–जाने की स्वतंत्रता इत्यादि भी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण हेतु आवश्यक है। लोकतांत्रिक नीति के ढांचे के भीतर, हमारे कानून, विकास नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उन्नति को प्राथमिकता प्रदान करते हैं।

ग्रामीण भारत में महिलाओं में बड़े पैमाने पर भिन्नताएं होने के कारण उनके बारे में व्यापक तौर पर कोई अनुमान लगाना, निश्चित तौर पर कठिन कार्य है। उनका संबंध अलग–अलग वर्गों, जातियों, धर्मों, समुदायों से है। इसके बावजूद कहा जा सकता है कि ज्यादातर महिलाएं पितृसत्तात्मक ढांचों और विचारधाराओं के कारण तकलीफें उठाती हैं, उन्हें महिला–पुरुष असमानताओं और पराधीनता का सामना करना पड़ता है। महिलाएं सामाजिक और मानव विकास के समस्त सूचकों में पुरुषों से पिछड़ जाती हैं। महिलाओं के लिए भारत में दुनिया का सबसे प्रतिकूल महिला–पुरुष अनुपात है। महिलाओं की जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य, पोषण और शैक्षणिक स्तर पुरुषों की तुलना बहुत कम है। महिलाएं अल्प कौशल और श्रम आधारित रोजगार तक सीमित रहती हैं, उन्हें पुरुषों की तुलना में पारिश्रमिक और वेतन कम मिलते हैं और उनका संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों पर विरले ही स्वामित्व अथवा नियंत्रण होता है। यद्यपि महिलाओं की प्रधानता वाले घरों की संख्या में वृद्धि हो रही है, किन्तु अधिकांशतः वे हमारे देश के निर्धनतम घरों में से हैं। राजनीतिक एवं सामाजिक निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बेहद कम है। संसद में महिलाओं की भागीदारी कभी 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं रही। उनके जीवन को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक, कानूनी, राजनीतिक नियमों के निरूपण में उनकी राय का उचित समावेशन अपेक्षित है।

भारत की आज़ादी के बाद संविधान निर्माताओं और राष्ट्रीय नेताओं ने महिलाओं को पुरुषों के समान स्थान दिया एवं संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास की आधारशिला रखी गई थी जिसे आगामी योजनाओं, कार्यक्रमों और अभियानों के द्वारा और भी बल प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। वर्ष 2001 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति जारी की तथा इस वर्ष को 'महिला सशक्तिकरण' वर्ष घोषित किया। इस नीति का उद्देश्य महिलाओं की प्रगति, विकास और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना और महिलाओं के साथ हर तरह के भेदभाव को समाप्त कर उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में खुलकर भागीदारी करने का मार्ग सुनिश्चित करना है। मार्च 2010 में प्रारम्भ राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन का उद्देश्य भारत की महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों जैसे शिक्षा, गरीबी, स्वास्थ्य, कानूनी अधिकार, सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण तथा प्रमुख नीतियों, कार्यक्रमों एवं संस्थानात्मक प्रबंधनों की बाधाओं को दूर करना है। इन सबके अतिरिक्त महिलाओं के विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य से सम्बंधित कई सारी योजनाएं और अभियान अमल में लाए गए हैं। एक के बाद एक सरकारों ने महिलाओं को आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में समान दर्जा देने के लिए कई उपाय किए। पिछले कुछ

दशकों में संसद द्वारा बनाए गए कई कानूनों तथा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं ने महिलाओं को कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने की दिशा में बहुत कुछ किया है। इन सभी प्रयासों को समावेशी विकास के सन्दर्भ में देखा जा सकता है।

अतः इन सभी कार्यक्रमों एवं योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं का पूर्णतः समावेशी विकास कर उनका राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण करना रहा है। पंचायत राज संस्थाओं में आरक्षण के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर ग्रामीण महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण किया गया। स्वयं सहायता समूहों, गामीण आजीविका कार्यक्रम एवं मनरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण महिलाएँ आर्थिक रूप से सशक्त होने की दिशा में अग्रसर है। राजनीतिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण ने ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा ने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया है और महिलाएं जहां शिक्षित हुई हैं, वहां सबसे तेज गति से सशक्तिकरण हुआ है। स्वास्थ्य के मामले में भी महिलाओं को कष्ट सहना पड़ता है। इसलिए महिलाओं के स्वास्थ्य को सरकारी नीतियों में प्राथमिकता मिली है और सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और जननी शिशु सुरक्षा जैसे कार्यक्रमों से इस दशा में प्रयास कर रही है। इन सभी प्रयासों ने ग्रामीण क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण को एक नई दिशा दी है एवं स्थितियों में परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे है। किन्तु यह परिवर्तन अभी भी अपेक्षा से कम है। अतः यह आवश्यकता है कि ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं का समावेशी विकास के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया जाये।

इसी पृष्ठभूमि में विषय की महत्ता एवं प्रासंगिकता के दृष्टिगत म. प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन, **"ग्रामीण महिला सशक्तिकरण एवं समावेशी विकास का भारतीय परिदृश्यः चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएँ"** विषय पर दो दिवसीय सेमिनार का (6 एवं 7 फरवरी, 2018) आयोजन कर रहा है।

सेमिनार के प्रस्तावित उपशीर्षक इस प्रकार है -

- ग्रामीण महिला सशक्तिकरणः सैद्धाँतिक एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य.
  (Rural Women Empowerment: Theoretical and Historical Context)
- ग्रामीण महिला सशक्तिकरण एवं संवैधानिक प्रावधान एवं कानून.
  (Rural Women Empowerment and Constitutional Provisions and Laws)
- भारत में ग्रामीण महिलाओं की स्थिति का वर्तमान परिदृश्य.
  (Status of Rural Women in India in Present Context)
- ग्रामीण महिलाओं का समावेशी विकास.
  (Inclusive Development and Rural Women)
- ग्रामीण महिला सशक्तिकरण एवं सरकारी नीतियाँ.
  (Rural Women Empowerment and Government Policies and Programmes)
- ग्रामीण महिला सशक्तिकरण एवं शिक्षा तथा स्वास्थ्य की स्थिति.
  (Rural Women Empowerment and Status of Health and Education)
- ग्रामीण महिला एवं रोजगार के अवसर
  (Rural Women Empowerment and Opportunities of Employment)
- ग्रामीण महिला सशक्तिकरण एवं पंचायत राज संस्थाएँ
  (Rural Women Empowerment and Panchayat Raj Institutions)

इस सेमिनार हेतु उक्तांकित विषयवस्तु एवं मुद्दों पर शोध पत्र आमंत्रित हैं। चयनित शोध पत्रों के लेखकों को सेमिनार भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाएगा। सेमिनार में भाग लेने हेतु यात्रा व्यय संस्थान द्वारा वहन किया जायेगा तथा आवास एवं अन्य व्यवस्थाएँ भी संस्थान द्वारा की जायेगी।

शोध संक्षेपिका (Abstract) भेजने की अंतिम तिथि : 12 जनवरी, 2018
सम्पूर्ण शोध पत्र (4000–6000 शब्द) भेजने की अंतिम तिथि : 18 जनवरी, 2018

(शोध संक्षेपिका एवं शोध पत्र निर्धारित तिथि के पूर्व ई–मेल mailboxmpissr@gmail.com पर प्रेषित करे)

डॉ. आशीष भट्ट
सेमिनार समन्वयक
09424511516
(drabhatt@yahoo.com)

प्रोफेसर यतीन्द्रसिंह सिसोदिया
निदेशक